बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06–रा0कू0मुद्रण–01/15(खंड) 2736/खाद्य,पटना/दिनांक 01/04/15

अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल/फैक्स

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :– बार कोडेड कूपन मुद्रण हेतु प्रखंडवार एवं पंचायतवार/वार्डवार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभुक परिवारों/व्यक्तियों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2467 दिनांक 24.03.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्ष 2015–16 में माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक राशन एवं किरासन कूपन का मुद्रण कराया जाना है। राशन कूपन योजनान्तर्गत पूर्विकताप्राप्त **व्यक्तियों** को गेहूँ एवं चावल के लिए एक कूपन प्रति माह एवं अन्त्योदय **परिवारों** को गेहूँ एवं चावल के लिए अलग–अलग दो राशन कूपन प्रति माह दिया जाना है। इसके लिए श्रेणीवार लाभुकों की संख्या की आवश्यकता है । राशन एवं किरासन कूपन के मुद्रण हेतु दिये गये प्रपत्रों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुक परिवारों/व्यक्तियों की संख्या हार्ड कॉपी एवं C.D (MS-Excel, Kruti Dev-010) में दिनांक 31.03.2015 तक उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था जो अप्राप्त है । विहित प्रपत्र विभागीय पत्रांक 2467 दिनांक 24.03.2015 में उल्लिखित है ।

अतः अनुरोध है कि बार कोडेड कूपन मुद्रण हेतु प्रखंडवार एवं पंचायतवार/वार्डवार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभुक परिवारों/व्यक्तियों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अविलंब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन

31/3/2015

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0मुद्रण–01/15(खंड) 2736/खाद्य,पटना/दिनांक 01/04/15
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/3/2015

सरकार के सचिव।

D:\Year-2011\Section_-06\R.cupan.doc